

## प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 17.09.2025 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:

- ❖ थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अ0सं0 283/24 धारा- 420/465/467/471 भादवि व 3/5(क)/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित (वारन्टी) अभियुक्त शक्ति सिंह पुत्र राणा प्रताप निवासी भगतसिंह कालौनी मरवा सहरौली मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना डेरापुर पुलिस द्वारा अ0सं0 160/25 धारा- 64ए/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित (वांछित) अभियुक्त विकास कटियार पुत्र गयाप्रसाद निवासी ग्राम उरसान थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना शिवली पुलिस द्वारा अ0सं0 193/98 धारा- 379/427/411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त विशम्भर पुत्र छोटा कंजड़ निवासी कंजड़ डेरा, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात (वारन्टी) को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अ0सं0 309/2025 धारा- 317(2)/317(4)/317(5) BNS से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. इमरान पुत्र अब्दुल शमद उम्र करीब 32 वर्ष 2. अल्ताफ पुत्र नजर मोहम्मद उम्र 45 वर्ष निवासीगण आजाद नगर अमरौधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा अ0सं0 325/25 धारा- 18/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. आशुतोष यादव पुत्र अनिल कुमार यादव उम्र करीब 22 वर्ष निवासी बिल्हौर रोड कस्बा व थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात व 2. विवेक कंजड़ पुत्र विश्वनाथ कंजड़ उम्र करीब 28 वर्ष निवासी थाने के पीछे कस्बा व थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 21 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें, थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रुरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना देवराहत पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना सट्टी पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 05 व्यक्तियों, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना शिवली पुलिस द्वारा 05 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया ।